डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक:– CoE/ 310/2018
दिनांक:– 20 / 04/2018

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध विधि महाविद्यालय,
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्याल,
आगरा।

विषय:– विधि परीक्षा वर्ष 2018 की परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि विधि पाठ्यक्रम के कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जो बी0ए0एलएल0बी0 अथवा एलएल0बी0 पाठ्यक्रम में अगली कक्षा उत्तीर्ण है और वे पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये है। ऐसे परीक्षार्थियों ने अपनी अगली कक्षा के परीक्षाफल की स्थिति को यथावत् बनाये रखने एवं पिछली कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति की मांग की है।

इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 19.04.2018 में प्रस्तुत किया गया। परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि ऐसे परीक्षार्थियों को उनकी पिछली कक्षा में सम्मिलित करने हेतु एक अवसर प्रदान कर दिया जाय तथा उनकी अगली कक्षा का परीक्षाफल की स्थिति यथावत् बनाये रखा जाय।

अतः परीक्षा समिति के निर्णयनुसार बी0ए0एलएल0बी0 एवं एलएल0बी0 के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अगली कक्षा उत्तीर्ण कर ली है किन्तु वे अपनी पिछली कक्षा के Re-Exam में अनुत्तीर्ण हो गये है उन्हें भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में पिछली कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा।

ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली कक्षा अनुत्तीर्ण है और वे पिछली कक्षा के Re-Exam की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होकर सीधे अगली कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो कर उत्तीर्ण हो गये है उन्हें पिछले वर्ष की परीक्षा में Re-Exam के रूप में सम्मिलित कराया जा सकता है। उनकी अगली कक्षा के परीक्षाफल की स्थिति यथावत् रखी जायेगी।

विधि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्य से अनुरोध है कि विधि पाठ्यक्रम की मुख्य परीक्षा 2018 के प्रारम्भ होने की तिथि दिनांक 25.04.2018 को ध्यान में रखते हुए Re-Exam में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म उपरोक्त अंकित बिन्दुओं / परीक्षा समिति के निर्णय के आलोक में भरवाने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार सुविधा छात्रहित में केवल 2018 की परीक्षाओं पर प्रभावी रहेगी।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ। ।
3. वित्त अधिकारी।
4. अधीक्षक, कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. सम्पादक समस्त समचार पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं अन्य समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना को छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. एजेन्सी 2015–18 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को सम्बन्धित महाविद्यालय की लागइन आई0डी0 एवं वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक